

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.06.2025

थाना चकिया जनपद चन्दौली

- ◆थाना चकिया पुलिस टीम व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीमों को मिली बड़ी सफलता।
- ◆पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000/-₹0 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार।
- ◆अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर व दो खाली खोखा कारतूस 32 बोर व पिस्टल की मैगजीन मे मौजूद 03 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।
- ◆अभियुक्त थाना धानापुर में हुये मुट्टुन यादव हत्याकांड का था मुख्य शूटर।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में व पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए आदेश-निर्देशों के अनुक्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी चकिया नामेन्द्र रावत के नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम व स्वाट सर्विलांस का संयुक्त टीमों ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25000 ₹0 का इनामिया वांछित/गैंगस्टर विशाल पासी पुत्र लालचंद पासी निवासी सिंहपुर थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.2025 को थाना धानापुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर निवासी राजकुमार यादव उर्फ मुट्टुन पुत्र स्व0 रामकृत यादव की अज्ञात बदमाशों द्वारा कस्बा धानापुर स्थित बस स्टैण्ड के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी, जिसके उपरान्त मृतक के पुत्र की तहरीर पर थाना धानापुर पर मु0अ0सं0 53/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु खोजबीन प्रारम्भ की गयी थी। तथा घटना के अनावरण हेतु गठित टीमों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 10.06.2025 को थाना क्षेत्र चकिया अन्तर्गत मुरारपुर तिराहे पर समय करीब 00.30 बजे थाना चकिया पुलिस टीम व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। कि इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि थाना धानापुर मे घटित हत्या की घटित घटना से संबंधित दो अपराधी अहरौरा की तरफ से शिकारगंज होते हुए भभुआ की तरफ जायेगे यदि चेकिंग की जाय तो दोनो अभियुक्त पकडे जा सकते है। उक्त सूचना पर थाना चकिया पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा मुरारपुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन की चेकिंग शुरु की गयी। चेकिंग के दौरान अहरौरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्ति काफी तेज गति से आ रहे थे, जिन्हे रूकने हेतु टार्च की रोशनी देकर इशारा किया गया। किन्तु पुलिस वालो की वाहन व मोटरसाइकिल की रोशनी मे ही दूर से देखकर मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को पहाड की तरफ मोड लियो। दोनो व्यक्तियो को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। तो दोनो बाइक सवार व्यक्तियो ने पहाड पर अपने अपने पास लिये असलहो से पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरु कर दी। पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर के दौरान एक गोली फायर कर रहे बदमाश के दाहिने पैर के घुटने के नीचे लगी और वह वही पर कराहते हुए गिर गया। कुछ देर बाद बदमाश की तरफ

से फायर होना बन्द हो गया तो भाग रहे दूसरे बदमाश की तलाश गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा भाग रहे अभियुक्त का पीछा किया गया किन्तु पहाड़ी व रात्रि का फायदा उठाकर दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा ।

घायल बदमाश की पहचान विशाल पासी पुत्र लालचन्द्र पासी निवासी ग्राम सिहोरी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 51 वर्ष के रूप में हुयी। तथा भागने का कारण पूछने पर बताया कि मैंने दिनांक 01.05.2025 को बस स्टैंड धानापुर मे मुटुन यादव की मैने व मेरे साथी जो मौके से आज मेरे साथ फायर करते हुए भाग गया अभिषेक सिंह उर्फ रामनाथ उर्फ पहलवान उर्फ सिपाही पुत्र स्व0 गुलाब सिंह निवासी महुवरकला थाना बलुआ जनपद चन्दौली । धानपुर घटना में हम दोनों एवं गोपाल सिंह व दो अन्य जिनका नाम पता अभिषेक सिंह व गोपाल सिंह ही जानते है इसी पिस्टल से मारकर हत्या कर दिये थे । हत्या करने के बाद से लुक छिपकर इधर उधर अपने साथी अभिषेक सिंह के साथ रह रहा था । आज अहरौरा शिकारगंज चकिया होते हुए भभुआ जाने के लिए हम दोनो इसी बाइक से जा रहे थे रास्ते मे अहरौरा के बाद पुलिस वाले चेकिंग करते मिले जिन्होने हम लोगो को रोकना चाहा किन्तु पकडे जाने के भय से तेजी से बाइक लेकर भाग आया । किन्तु दुर्भाग्यवश आप लोगो से सामना हो गया और मै गोली लगने के कारण पकड लिया गया ।

घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया चन्दौली ले जाया गया।

पुलिस बल व स्वाट टीम के साथ मौके पर अभियुक्त बदमाश की गिरी हुई मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो आगे पीछे नंबर प्लेट लगा है । जिसपर UP61AV6626 लिखा है । चेसिस नं0 MBLHAW135LGH04544 हीरो स्प्लेंडर रंग काला बरामद हुई । तथा पकडे गये घायल बदमाश के पास जमीन पर पडा हुआ एक पिस्टल 32 बोर व दो खाली खोखा कारतूस 32 बोर जमीन पर बिखरा हुआ मिला। व पिस्टल की मैगजीन मे मौजूद 03 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चकिया पर मु0अ0सं0-98/2025 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली पर अभियोग पंजीकृत अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विशाल पासी पुत्र लालचन्द्र पासी निवासी ग्राम सिहोरी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 51 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0-98/2025 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

1. एक पिस्टल 32 बोर

2. दो खाली खोखा कारतूस 32 बोर

3. 03 जिन्दा कारतूस 32 बोर

4. 01 मोटरसाइकिल व 750 रुपये

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-645/1999 धारा-323,324,504 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

2-मु0अ0सं0-366/2002 धारा-3 (1) गैगेस्टर एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

3-मु0अ0सं0-333/2002 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

4-मु0अ0सं0-153/2008 धारा-302,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

5-मु0अ0सं0-161/2008 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

6-मु0अ0सं0-330/2008 धारा-3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

7-मु0अ0सं0-1045/2008 धारा-3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

8-मु0अ0सं0-240/2009 धारा-110-जी सीआरपीसी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

9-मु0अ0सं0-356/2010 धारा-110-जी सीआरपीसी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

- 10-मु0अ0सं0-24/2012 धारा-110जी सीआरपीसी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 11-मु0अ0सं0-261/2012 धारा-307, 147, 148,353,332,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।
- 12-मु0अ0सं0-325/12 धारा-147, 148,323,504,506, 188 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 13-मु0अ0सं0-326/12 धारा-307, 147, 148,353,332,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 14-मु0अ0सं0-356/12 धारा-110जी सीआरपीसी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 15-मु0अ0सं0-508/12 धारा-3/4 गुण्डा एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 16-मु0अ0सं0-138/14 धारा-147, 148, 149,427,452,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 17-मु0अ0सं0-218/14 धारा-110जी सीआरपीसी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 18-मु0अ0सं0-64/17 धारा-110 जी सीआरपीसी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 19-मु0अ0सं0-146/17 धारा-3/4 गुण्डा एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 20-मु0अ0सं0-631/2017 धारा 302,307,504,506, 147, 148, 149, 120-वी भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।
- 21-मु0अ0सं0-700/2017 धारा-174-ए भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 22-मु0अ0सं0-06/18 धारा-3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 23-मु0अ0सं0-283/2002 धारा-147, 148, 149,302 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 24-मु0अ0सं0-17/2024 धारा-302, 147,34, 120बी भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
- 25- मु0अ0सं0-53/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/352 बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
- 26- मु0अ0सं0-98/2025 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार थानाध्यक्ष चकिया जनपद चन्दौली मय हमराह।

उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट टीम/सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली

हे0का0 अरविन्द भारद्वाज स्वाट टीम जनपद चन्दौली

हे0का0 विजेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद चन्दौली

हे0का0 रामानन्द सिंह स्वाट टीम जनपद चन्दौली

हे0का0 प्रेमप्रकाश यादव सर्विलांस सेल चन्दौली

का. अजीत सिंह सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली

का0 गनेश कुमार तिवारी सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली

का0 संदीप कुमार सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली

जनपद- चन्दौली

◆ जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 04 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 04 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई जनपद चंदौली की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

थाना अलीनगर-

1. राजू यादव उर्फ राजीव यादव पुत्र प्रेमनाथ यादव नि० ग्राम जन्सो की मड़ई थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली
1. मु०अ०सं० 210/19 धारा 307 भादवि व 3/5 ए/5 बी/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० थाना बलुआ
2. मु०अ०सं० 212/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ
3. मु०अ०सं० 622/19 धारा 34/307 भादवि थाना मुगलसराय
4. मु०अ०सं० 626/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय
5. मु०अ०सं० 254/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली

थाना धीना-

2. अरविन्द कुमार मौर्य पुत्र रामकुवर मौर्य निवासी ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली
1. मु०अ०सं० 173/16 धारा 60 आबकारी अधि० थाना धीना जनपद चन्दौली
2. मु०अ०सं० 106/17 धारा 3(1) उ० प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
3. मु०अ०सं० 16/17 धारा 3/5 ए/8 गोवध नि० अधि०, 11 पशु कुरता नि० अधि०, 307 भादवि थाना खानपुर जनपद गाजीपुर
4. मु०अ०सं० 104/18 धारा 406/418/420/465/468/471/506 भादवि थाना धीना जनपद चन्दौली
5. मु०अ०सं० 93/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 3/5 ए/8 गोवध० नि० अधि०, 307/429 भादवि थाना जमानियां जनपद गाजीपुर
6. मु०अ०सं० 324/20 3(1) उ० प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना जमानियां जनपद गाजीपुर

थाना बलुआ-

3. रामकिशोर गुप्ता उर्फ रामू पुत्र श्रीकान्त गुप्ता नि० ग्राम सराय थाना बलुआ जनपद चन्दौली
1. मु०अ०सं० 232/2024 धारा 310(2)/311 बीएनएस थाना बलुआ
2. मु०अ०सं० 217/2024 धारा 115(2)/121(1)/324/351(3)/352 बीएनएस व 3(1) द/3 (1) ध/3(2) 5 ए एससी/एसटी एक्ट थाना बलुआ
3. मु०अ०सं० 108/2024 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3 (1) द/3 (1) ध/ 3 (2) 5 ए एससी/एसटी एक्ट थाना बलुआ
4. मु०अ०सं० 189/2023 धारा 294/504 भादवि थाना बलुआ
5. मु०अ०सं० 124/2020 धारा 323/452/504/506 भादवि व 3 (1) द ध एससी/एसटी एक्ट थाना बलुआ

थाना चकिया-

4.विमलेश यादव पुत्र रामअचल यादव नि0 भभौरा थाना चकिया, जनपद चन्दौली

1.मु0अ0सं0 43/2016 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व क्र०नि०अधि० 11 पशु चकिया/चन्दौली

2.मु0अ0सं0 75/2019 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8 गो०नि०अधि० क्र०नि०अधि० व 11 पशु चकिया / चन्दौली

3.मु0अ0सं0 76/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट